## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

**सा.का.नि. 253(अ).**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतत द्वारा आयकर विभाग(समूह 'ग')भर्ती नियमावली, 2003 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

1. (i) इन नियमों को आयकर विभाग (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयकर विभाग (समूह 'ग') भर्ती नियमावली, 2003 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा:-

**वरिष्ठ गेस्टेंटर ऑपरेटर**

कॉलम 4 में:

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "3050-75-3950-80-4590 रुपए"शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 2 (19900-63200 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

आयकर विभाग (समूह 'ग') भर्ती नियमावली, 2003 को सा.का.नि.सं. 321 को दिनांक 2 सितम्बर, 2003 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016, दिनांक 25 जुलाई, 2016 की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने डीओपीटी ओएम सं.एबी.14017/13/2016-स्थापना(आरआर) 9 अगस्त, 2016 के द्वारा निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य नई वेतन संरचना के अनुसार वर्तमान पे बैंड और ग्रेड पे में संशोधन करना है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से है और इसके पहले के नियमों में इसी तरह के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/124/02/2016-17(पार्ट)/ डायरी संख्या 101 /2017- प्रशा-7]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्याक सा.का.नि.सं. 321 को दिनांक 2 सितम्बर, 2003 दिनांक द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 2 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित किये गए थे।